निगरानी क्रमांक-
प्रस्तुतदिनांक :- 26-12-2017

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0 प्र0 . केम्प भोपाल.

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2017/6367

§1§-प्रकाशचन्द्र पिता रामलाल कुड़मी,

§2§- नारायण पिता रामलाल कुड़मी,

दोनों निवासी ग्राम रजोराकुर्मी, तहसील-

सिवनीमालवा जिलाहोशंगाबाद म.प्र. -------- आवेदक गण

विरूद्ध

§1§- सुखदेव पिताबुलाखी कुड़मी,

§2§- रामदास पिता भागचंद हरिजन,

§3§- कलीराम पिता भागचंद हरिजन

§4§- सुशील कुमार पितासुन्दरलाल हरिजन,

§5§- प्रकाश पिता शंकरलाल कुड़मी,

सभी निवासी ग्राम रजोराकुर्मी तहसील -

सिवनीमालवा जिलाहोशंगाबाद म.प्र. ------- अनावेदकगण.

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा- 50 मध्यप्रदेशभूराजस्व संहिता-

" आवेदक गण यह निगरानी याचिका राजस्व प्र0क्र0-18/अ-12 वर्ष 10-11 ग्राम रजोराकुर्मी में श्रीमान तहसीलदार महोदय सिवनीमालवा व्दारा पारित आदेश दिनांक -27-7-2017 एवं 31-7-2017 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत करते हैं ।"

प्रकरण के तथ्य

7

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/R/होशंगाबाद/Rev/2017/6367

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/12/17	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 27—7—2017 एवं 31—7—2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी दिनांक 26—12—17 को लगभग 3 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जबकि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की उपस्थिति में उक्त कार्यवाही की गई है । आवेदक की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत पृथक से कोई आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	